



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125241

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 18231/2026

प्रदीप कुमारआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार राय, शशि धर गोस्वामी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार राय, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान ज़मानत आवेदन थाणा- नोनहरा, जिला गाज़ीपुर के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 371/2025, धारा 103(1), 140(1), 238, 61(2) बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम के तहत विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.12.2025 को दर्ज की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता का बेटा जब अपने तीन दोस्तों के साथ लौट रहा था, तब आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि घटना के समय मृतक के साथ मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बयान दिया कि उन्होंने आवेदक और उसके दोस्तों को मृतक को गाली देते और धमकी देते देखा था। इसके बाद मृतक उस स्थान से चला गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। वे भी खुद को बचाने के लिए घटना स्थल से भाग गए। बाद में उन्हें मृतक का शव मिला लेकिन उन्होंने घटना के बारे में मृतक के पिता को सूचित नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, केवल इसलिए कि आवेदक ने मृतक का पीछा किया था, यह अपने आप में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक के इशारे पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। हालांकि एक प्रत्यक्षदर्शी दिनेश यादव को घटना के 34 दिनों के बाद पेश किया गया था, जिसने बयान दिया था कि उसने आवेदक को तब देखा था जब आवेदक और उसके दोस्त मृतक का अपहरण कर मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे, हालांकि इस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तरह के विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचनाकर्ता ने अपने दूसरे बयान में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह वास्तविक अपराधियों के बारे में नहीं जानता था, उसने संदेह के आधार पर सभी व्यक्तियों के नाम बताए थे। अंत में यह तर्क दिया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक ने संलग्न हलफनामे में तीन मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है और वह 05.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश और जमानत देने के संबंध में माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765) के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- प्रदीप कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को करने में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. आवेदक और प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **4/2021** (जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति संदर्भ में), जिसका निर्णय **31.01.2023** को हुआ और जो **(2024) 10 एससीसी 685** पर रिपोर्टेड है, के मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में, और साथ ही रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **169/2025** (पिला पाहन उर्फ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य), जिसका निर्णय **29.05.2026** को हुआ, के मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर इस आदेश की एक प्रति गाज़ीपुर जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।
12. आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

4 जून, 2026

ए.क्र.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"